



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3500

क्रमांक: - 22(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 31/08/2023

(स्वीकृति संख्या : 11 / 2023-24)

विषय :- सैटेलाईट चिकित्सालय किशनपोल, जिला जयपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152301918 दिनांक 23.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सैटेलाईट चिकित्सालय किशनपोल, जिला जयपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01-17 MW अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधानों में से राशि रू. 300.00 लाख (अक्षरे राशि रू. तीन सौ लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " (RSHS) के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गार्डइलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे:-

राशि (रुपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	30,00,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	30,00,00,00
	कुल योग	30,00,00,00	कुल योग	30,00,00,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए मदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152301918 दिनांक 23/08/2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signature invalid

Digitally signed by  
NIMES  
Date: 2023.08.31  
14:00:00 +05:30

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 4628449

<http://ifms.raj.nic.in>

1

Date : 31/8/2023



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3500

क्रमांक: - 22(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 31/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वजट) विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय-1 विभाग
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रत्रावली।

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 4628449

<http://ifms.raj.nic.in>

2

Date : 31/8/2023

Signature in  
Digital  
NIMISHA GUPTA  
Date: 31/08/2023



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3500

IFMS ID : 3500

परिशिष्ट	राशि (रुपये में)
क्र. स.	राशि
Ref. No.	
	निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष
	4008 - Rajasthan State Health Society
	2100 - जयपुर(सचिवालय)
1	33860
	4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)
	30,00,00,00

Signature invalid

Digital Signature by  
NIMISHA SINGH  
Date: 14/08/2023

RajKaj Ref No. : 4628449

<http://ifms.raj.nic.in>

3

Date : 31/8/2023

राजस्थान सरकार  
निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राज.जयपुर  
क्रमांक:एफ-543/योजना/निर्माण/2023/1013 दिनांक:- 04/09/23

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव,संयुक्त शासन सचिव(ग्रुप-2),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय।
3. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत निविदा जारी कर निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप निदेशक(सांख्यिकी) योजना अनुभाग मुख्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट चिकित्सालय किशनपोल जिला जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रुम,विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
जयपुर राजस्थान